

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 102/2019

निर्णय दिनांक -07.06.2019

1. किशनलाल पिता घीसालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. फतेहलाल पिता घीसालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
3. उदयलाल पिता घीसालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
4. मु. गंगा बाई पत्नी घीसालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।

– प्रार्थीगण

// बनाम //

1. शम्भुलाल पिता जमनालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
2. दुर्गेश पिता जमनालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
3. बसन्तीलाल पिता जमनालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
4. गंगा बाई पत्नी जमनालाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
5. पारस पिता काशीराम शर्मा, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
6. रंगलाल पिता ताराचन्द धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
7. नानालाल पिता ताराचन्द धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
8. पूरणमल पिता कालूलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।
9. रामलाल पिता भंवरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भट्ट कोटड़ी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 69 की आराजी नं. 739 रकबा 2.2200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात वाके मौजा भट्ट कोटड़ी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 69 की आराजी नं. 739 रकबा 2.2200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

